रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67/2018–20

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही,
कानपुर–208014

वर्ष –41 ● अंक –10 ● कानपुर 16 से 31 मई 2019 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹100

पंजीयन के लिये

महानिदेशालय से किया जायेगा सम्पर्क

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों के पंजीयन के सम्बन्ध में अतिशीघ्र महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 से सम्पर्क किया जायेगा यह बात डा0 एम0 एच0 इदरीसी ने बोर्ड की पंजीयन समिति की बैठक में कही उन्होंने कहा कि बहुत समय हो गया है अब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सकों के पंजीयन के सम्बन्ध में महानिदेशालय को निर्णय ले लेना चाहिये विदित हो कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित अवमाननावाद संख्या 820/2002 राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री ए0 पी0 वर्मा मुख्य सचिव उ0प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनाक 28 जनवरी, 2004 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग – 6 ने कार्यालय ज्ञाप संख्या 2914/पाँच–6–10–23 रिट/11 दिनांक 4 जनवरी, 2012 जारी किया था इसके क्रियान्वयन हेतु महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 2 सितम्बर, 2013 एवं 14–3–2016 को प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/अपर निदेशकों को शासन द्वारा जारी आदेश के परिपालन हेतु निर्देश भी जारी किये गये हैं।

आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों के पंजीकरण हेतु महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 की अध्यक्षता में शासनादेश संख्या–सू–197/पाँच–6–2015–25 सूचना/09 दिनांक 4 दिसम्बर, 2015 द्वारा एक समिति का गठन किया गया है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा से प्रशिक्षित व्यक्तियों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा से प्रैक्टिस करने हेतु नियम/विनियम बनाये जाने हेतु शासन को सुसंगत प्रस्ताव/संस्तुति उपलब्ध करायेगी, सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि इस समिति की कई बैठक हो चुकी हैं परन्तु कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ है आखिर इतनी धीमी गति का क्या कारण है यह तो नहीं स्पष्ट है परन्तु इस सम्बन्ध में अतिशीघ्र ही महानिदेशालय से सम्पर्क किया जायेगा एवं यह जानने का पूर प्रयास किया जायेगा कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है।

डा0 इदरीसी ने कहा कि वैसे तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में कार्य करने के लिये अब कोई बाधा नहीं है हमें प्रैक्टिस करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है हमारे चिकित्सकों को चाहिये कि वह अपने अधिकारों को समझें और पूर्ण अधिकार के साथ कार्य करते हुये जनता की सेवा करें व जनस्वास्थ्य में अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करें उन्होंने चिकित्सकों से कहा कि जो लोग अपनी पद्धति के अतिरिक्त अन्य कोई पद्धति अपनाते हैं तो उन्हें अपने व्यवहार में सुधार लाना चाहिये, जब आपके पास पूरे अधिकार हैं तो उनका पूर्ण उपभोग करें तथा कभी भी अपने आपको कमतर न समझें, आशा है कि निश्चित तौर पर इस वर्ष चिकित्सकों के पंजीयन के सम्बन्ध में कोई न कोई प्रगति अवश्य होगी।

डा0 इदरीसी ने बैठक में बताया कि पिछले वर्षों के दौरान हमने यथा सम्भव प्रयास किया कि स्वच्छ, स्पष्ट, पारदर्शी एवं विधि सम्मत कार्यप्रणाली से जनमानस को अवगत करावें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को हमारी गतिविधियों की जानकारी हो सके, हम राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं जो भी संस्थायें या संगठन हमसे सहयोग या सूचनायें मांग रहे हैं, उन्हें हम निरन्तर उपलब्ध भी करा रहे हैं प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा एवं शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन की दिशा में अग्रसर है, निरन्तर नियमित शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अनुसंधान के नये रास्ते तभी सम्भव हैं जब इसकी प्रैक्टिस पूरी स्वतन्त्रता से की जाये, हम निरन्तर प्रयासरत हैं कि चिकित्सकों को उनके अधिकार शीघ्रताशीघ्र प्राप्त हों तथा वे स्वतन्त्र रूप से अधिकार पूर्वक प्रैक्टिस कर सकें, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का तथ्यपरक, वैज्ञानिक एवं आधुनिक साहित्य, कार्य से ही सम्भव है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों के लिए **C.M.E.** का आयोजन तभी सार्थक हो सकता है जब हमारा चिकित्सक वैधानिक एवं अधिकारिता पूर्वक प्रैक्टिस करे, प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को केन्द्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब चिकित्सक विधिवत प्रैक्टिस करेंगे एवं छात्र भी नियमित रुप से अध्ययन करेंगे, रोज़गार के अवसरों के सृजन की ओर हम निरन्तर अग्रसर हैं, चिकित्सकों को प्रतिस्पर्धी बनाते हुए आत्मबल बढ़ाने के लिए कार्यक्रम जारी हैं।

प्रदूषण से सम्बंधित एक प्रश्न के उत्तर में डा0 इदरीसी ने कहा कि श्री शैलेष सिंह बनाम यूनियन एवं अन्य में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक क्रमशः 06–02–2019 व 12–03–2019 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अब सभी चिकित्सकों को केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के निर्देशानुसार राज्य के प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से पंजीकरण कराना होगा, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड में चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों का पंजीयन विधानुसार होगा चिकित्सक एवं चिकित्सालयों के स्तर के अनुसार पंजीकरण शुल्क एवं अन्य वांछित अभिलेख एवं सूचना प्रस्तुत करनी होगी इसलिए अब यह आवश्यक हो गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक/चिकित्सालयों का स्तर निश्चित हो अस्तु यह आवश्यक हो गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों/चिकित्सालयों के पंजीयन हेतु लम्बित कार्यवाही अतिशीघ्र पूर्ण हो जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक/चिकित्सालय को राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से पंजीयन/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो।

डा0 इदरीसी ने ज़ोर देकर कहा कि पंजीयन के मामले को लेकर यदि आवश्यक हुआ तो शासन से भी सम्पर्क किया जायेगा ताकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के साथ भी अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों की भांति व्यवहार किया जाये, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक यदि कोई चूक करते हैं तो उन्हें अनावश्यक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है जो अनुचित ही नहीं अवैधानिक भी होगी किन्तु यदि वह इन आदेशों का अनुपालन करेंगे तो किसी भी कार्यवाही से बचे रहेंगे, अतः मामले की गम्भीरता को समझते हुए अविलम्ब अपने क्षेत्र के प्रदूषण नियन्त्रण अधिकारी कार्यालय से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का प्रयास करें जिससे उन्हें कोई असुविधा नहीं हो हालांकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के यहां किसी भी प्रकार का बायोमेडिकल वेस्ट (**BMW**) नहीं होता है फिर भी इसे प्रमाणित करने के लिए प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है यदि हम ऐसा करने में सफ़ल होते हैं तो हम एक स्थापित चिकित्सक के तौर पर सरकार के समक्ष खड़े हो सकते हैं।

निकट भविष्य में अतिशीर्ष नगर विकास विभाग द्वारा भी लगाये जाने वाले करों का सामना करना पड़ सकता है यदि हम सजग रहेंगे तो किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होंगे यह व्यवस्था मात्र इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए ही नहीं अपितु पूरी चिकित्सा व्यवस्था के लिए है इसलिए हमें अपने मन में कदाचित यह नहीं लाना चाहिये कि हम मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति की श्रेणी में नहीं आते हैं तो हमें इन व्यवस्थाओं से क्या लेना देना है! व्यवस्थायें हमेशा स्थान, परिस्थिति एवं काल के हिसाब से निर्मित की जाती है और जो जनोपयोगी व्यवस्थायें होती हैं उन्हें सभी सम्बन्धित को स्वीकार करना होता है इसलिए तत्काल व्यवस्थायें जो अनुपालन के लिए सामने हैं उसका हमें पालन करना चाहिये हम जब तक व्यवस्थाओं में लगे रहेंगे तब तक अनेकानेक व्यवस्थायें निर्मित होती रहेंगी और हमें उन सभी का यथा उचित पालन करते रहना पड़ेगा।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की शक्तियों के बारे में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को भलिभांति ज्ञात होगा कि यह वही अधिकरण है जिसने देश की राजधानी दिल्ली में आयोजन के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय एन0 जी0 ओ0 को जुर्माना भरने के लिए करोड़ो रुपये राजकोष में जमा करने के लिए बाध्य किया था।

देश के अनेक ऐसे उद्योगों को जिनके यहाँ किसी प्रकार का प्रदूषण होता है बन्द करने की कार्यवाही अनेक अवसरों पर की गयी है माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की कार्यवाही स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से सम्बन्धित है इसलिए सरकार की किसी भी इकाई से इनकी कार्यवाही के विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त नहीं होता है, **परिणामतः इनके निर्देशों का जनहित में पालन आवश्यक हो जाता है।**

C.M.E. की भूमिका

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा गठित अन्तर विभागीय समिति द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए निर्धारित मापदण्डों में एच्छिक मापदण्ड **C.M.E.** की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शायी गयी है ऐसा वांछित बिन्दु से प्रतीत होता है, समिति द्वारा जो मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है एक को अनिवार्य कहा गया है, जिसमें पांच बिन्दु निर्धारित हैं और दूसरे को एच्छिक जिसमें दो बिन्दु हैं इनमें अन्तिम बिन्दु **C.M.E.** तथा इसमें उपलब्ध अनुसंधान की सुविधाओं का उल्लेख किया गया है इससे स्पष्ट होता है कि **C.M.E.** की महत्वपूर्ण भूमिका है किन्तु **C.M.E.** मात्र प्रचार एवं व्यापार के लिए ही नहीं वरन् **C.M.E.** में अनुसंधान के लिए क्या सुविधायें उपलब्ध हैं इसपर आकड़ों के साथ जानकारी को एकत्र करना तथा परिणाम के प्रतिशत को भी लिपिबद्ध करने जैसी बात समझ में आती है इस बिन्दु से यह तो स्पष्ट है कि **C.M.E.** को व्यवहारिक ही नहीं बल्कि अनुसंधान की दृष्टि से भी बड़ी महत्ता है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में **C.M.E.** के जो भी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं वह कितने वास्तविक हैं और उनसे प्राप्त आकड़ों को कितना संभाल कर रखा जा रहा है तथा उनका किस स्तर पर अनुशीलन एवं परीक्षण किया जा रहा है, यह **C.M.E.** संचालक एवं संस्थान ही बता सकते हैं, यदि अब तक कोई कार्य न हुआ हो तो **C.M.E.** संचालकों एवं संस्थानों को चाहिये कि वह अन्तरविभागीय समिति द्वारा निर्धारित मापदण्ड के बिन्दु 2 में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता कर सकते हैं यदि ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें मात्र इसी बिन्दु पर अन्तरविभागीय समिति को संयुक्त प्रपोज़लकर्ताओं के माध्यम से अपने कार्यों का ब्यौरा पूरक के रूप में प्रस्तुत करना चाहिये यह बिन्दु मात्र कार्य से सम्बन्धित है इसमें किसी इतिहास भूगोल की आवश्यकता नहीं है और न ही इसमें किसी पूर्व साक्ष्य की, यदि ऐसा करने में **C.M.E.** संचालक एवं संस्थान सफल होते हैं तो सातवें और अन्तिम मापदण्ड की पूर्ति वास्तविक रूप से हो सकेगी एवं वांछित प्रपोज़ल को अन्तिम रूप दिये जाने में बल मिलेगा वांछित अनिवार्य मापदण्ड के बिन्दु इतिहास एवं साक्ष्यों पर आधारित हैं जबकि एच्छिक मापदण्ड पूरी तरह से क्रियात्मक है इन बिन्दुओं की पूर्ति कार्यों के आधार पर ही की जा सकती है चाहे वह पढ़ाये जाने वाला पाठ्यक्रम हो या दिये जाने वाला क्रियात्मक ज्ञान अथवा **C.M.E.** के द्वारा किया गया कार्य एवं उनसे प्राप्त आंकड़े, देश के हर राज्य में चलने वाले **C.M.E.** कार्यक्रमों की योजनायें निरन्तर चलायी जा रही हैं इनसे क्या परिणाम प्राप्त हो रहे हैं ! इन्हें कहीं लिपिबद्ध किया जा रहा है या मात्र प्रचार के लिए यह कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं वास्तव में **C.M.E.** कार्यक्रमों को सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त है इनसे प्राप्त परिणामों को वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ नवआगत चिकित्सकों को भी अवगत कराया जाये जिससे **C.M.E.** के परिणामों से यह लोग भी अवगत होकर लाभ उठा सकें **C.M.E.** कार्यक्रम जहां भौतिक रूप से चलाये जा रहे हैं वहीं आजकल ऑनलाइन **C.M.E.** के विज्ञापन भी दिखायी देने लगे हैं भौतिक रूप से जो **C.M.E.** चलायी जा रही हैं उनके आंकड़े संकलित कर गुण दोष के आधार पर उनका परीक्षण तो किया जा सकता है किन्तु ऑन लाइन चलायी जाने वाली **C.M.E.** का लाभ किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है ?यह **C.M.E.** चलाने वाले संचालक एवं संस्थान ही बता सकते हैं, सम्भव है यह मात्र प्रचार एवं व्यवसायिक गतिविधियां ही हो यदि ऐसा है तो **C.M.E.** संचालकों/संस्थानों को चाहिये कि ऐसी गतिविधियों से बचना चाहिये अन्तरविभागीय समिति द्वारा निर्धारित मापदण्ड पर ही वांछित **C.M.E.** की जाये उसमें उपलब्ध सुविधायें ,प्राप्त परिणामों पर विशेष ध्यान दिया जाये, **C.M.E.** द्वारा जो आंकड़ें एकत्र किये जायें उनको इस प्रकार संकलित किया जाये जो अन्तर विभागीय समिति द्वारा वांछित मापदण्ड के अनुसार तथा आवश्यकतानुसार प्रस्तुत की जा सके यदि सम्बन्धित व्यक्ति एवं संस्थान इस ओर गम्भीरता से ध्यान देंगे तो उनके द्वारा किये गये कार्यों का जहां एक ओर मूल्यांकन होगा वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन भी होगा, उन्हें अपने व्यवसायिक स्तर से हटकर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हित में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों के लिए **C.M.E.** का आयोजन तभी सार्थक हो सकता है जब चिकित्सक, वैधानिक एवं अधिकारिता पूर्वक प्रैक्टिस करें।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी को पीछे करने का प्रयास

इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति विकास एवं प्रसार के लिए जैसे ही कुछ आगे बढ़ती है इसके अनुयायी/हितैषी कुछ ऐसा करने लगते हैं जिससे इसे आगे बढ़ने से ज़्यादा पीछे होना पड़ता है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी पारम्परिक एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियों को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता देने की व्यवस्था की है इसके लिए कुछ मापदण्ड भी निर्धारित किये हैं उन मापदण्डों को पूर्ण करने के पश्चात ही सरकारें इसे मान्यता प्रदान करती हैं इसी का अनुसरण करते हुए भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए एक अन्तर विभागीय समिति का गठन किया गया है इस समिति ने मान्यता के कुछ अनिवार्य एवं एच्छिक मापदण्ड निर्धारित किये हैं इसके अधीन स्पष्ट किया गया है कि चिकित्सा पद्धति ऐसी होनी चाहिये जो पूर्ण रुपेण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो न कि कुछ रोगों के लिए ही सीमित हो।

आजकल देश में पूरे जोर शोर के साथ कुछ संस्थाओं/संगठनों एंव समूहों द्वारा इस प्रकार प्रचार किया जा रहा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से अमुक रोगों का इलाज पूर्णतयः सम्भव है गारन्टी के साथ लाभ प्राप्त करें यह कथन इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता में बाधा उत्पन्न कर सकता है 28 फरवरी, 2017 से अधिसूचित इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मैकेन्जिम के लिए जो समिति कार्य कर रही हैं अभी तक उसने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है जो सकारात्मक हो हालांकि उसने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विरूद्ध कोई टिप्पणी भी नहीं की है यदि टिप्पणी की भी है तो इसकी उपाधि आदि के सम्बन्ध में, इसके प्रपोज़ल कर्ताओं के सम्बन्ध में, यदि टिप्पणी की है तो वांछित सामग्री न उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, ऐसी संस्थाओं/ संगठनो एवं समूहों को समय का ध्यान रखते हुए ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुँचे, लोग जो कुछ भी करना चाहते हैं वह कभी भी कर सकते हैं यदि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम पर करना है तो वह तभी सम्भव हो सकेगा जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी बाकी रहेगी।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी अपने उस स्थान पर आज भी मज़बूती के साथ खड़ी है जहां उसे होना चाहिये इसीलिए भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने 21 दिसम्बर, 2017 को एक पत्र जारी कर इस बात की पुष्टि कर दी है इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की नियत बिल्कुल साफ है और वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी को वैकल्पिक मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित करना चाहती है यदि इसमें कोई बात आड़े आती है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी संस्थाओं /संगठनों एवं समूहों की मनमानी की है।

चिकित्सा पद्धति के रूप में एलोपैथी चिकित्सा पद्धति ही विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है इसके अतिरिक्त जितनी भी पद्धतियां हैं उन्हें विकसित होने का पूर्ण अधिकार है बशर्तें ये तमाम पद्धतियां जनोपयोगी हों इनसे स्वास्थ्य को हानि न पहुँचती हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसी पद्धतियों को पारम्परिक एवं वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की श्रेणी में रखा है, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां वह पद्धतियां हैं जो किसी देश द्वारा अपनी जनता के लिए निर्धारित नहीं हैं अर्थात इनका उपयोग सभी देश अपने यहां कर सकते हैं, पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियां वह पद्धतियां हैं जो किसी देश में अपनायी जाती हैं और जिन्हें वह देश संरक्षण देते हैं, आयुर्वेदिक एवं एक्यूपंचर आदि पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियां हैं आयुर्वेदिक भारतीय तथा एक्यूपंचर चीनी चिकित्सा पद्धति है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी यूरोपीय पद्धति है जिसका उद्भव इटली में हुआ और इटली से निकलकर पूरे विश्व में फैल गयी चूंकि यूरोप में पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियां नहीं हैं इसलिए यूरोप में तमाम चिकित्सा पद्धतियां वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त हैं इन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों में अन्य के साथ होम्योपैथी भी सम्मिलित है।

अन्तर विभागीय समिति द्वारा निर्धारित अनिवार्य एवं ऐच्छिक मापदण्ड को पूर्ण करने के बजाये सरकार द्वारा प्राप्त काल्पनिक सहमति को इस तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं मानों इन संस्थाओं/संगठनों या समूहों को कार्य करने की खुली छूट मिल गयी हो और लोगों को भ्रमित करने में वह लेशमात्र भी संकोच नहीं कर रहे हैं, इसके क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं इसका किसी को कोई अन्दाज़ा नहीं है, वह जो भी कर रहे हैं वह सार्वजनिक जीवन में सभी ओर दिखायी पड़ रहा है इससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को क्या लाभ हो सकता है ! इन्हें अनुमान तक नहीं है तथा इससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को क्या नुकसान हो सकता है इसकी कल्पना वे नहीं कर सकते हैं अतः इन संस्थाओं /संगठनो या समूहों को चाहिये कि वह वर्तमान समय में जो भी गति–विधियां करें वह अन्तर विभागीय समिति द्वारा निर्धारित अनिवार्य एवं ऐच्छिक मापदण्डों की पूर्ति करते हों जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का मार्ग सुगमता से प्रशस्त हो सके यदि इसके विपरीत कोई कार्य करते हैं तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता में निःसंन्देह बाधा उत्पन्न होगी और उनके द्वारा किये जा रहे निवेश को भारी क्षति हो सकती है, अतः प्रारम्भिक तौर पर वह अपने द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा करें तथा अन्तरविभागीय समिति द्वारा जारी नोटिस, उसके द्वारा वांछित सूचनायें एवं अभिलेखों की समीक्षा के उपरान्त जारी पत्रों का अनुसरण एवं अनुशीलन करें

इसके बाद ही कोई कार्य योजना बनायें तभी उन्हें सफलता मिल सकती है, इसके विरूद्ध यदि उनके द्वारा किये कार्यों का परीक्षण होता है और यदि कोई कार्यवाही उनके विरूद्ध होती है तो देश के अनेक राज्य उससे प्रभावित हो सकते हैं जिससे उन राज्यों में स्थापित संस्थाओं /संगठनो एवं समूहों का इससे कोई सम्बन्ध न होगा।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अग्रणी संस्थाओं/संगठनों या समूहों को चाहिये कि वह प्रारम्भिक तौर पर कोई ऐसा कार्य न करें जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए अन्तर विभागीय समिति द्वारा निर्धारित अनिवार्य एवं ऐच्छिक मापदण्डों के प्रतिकूल हो।

बोर्ड के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर सादाबाद में डा0 नेम सिंह, डा0 बहादुर अली, डा0 रमेश चन्द उपाध्याय व अन्य

चिकित्सक दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें – डा0 अतीक अहमद

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जिनका पालन करना प्रत्येक चिकित्सक का मौलिक कर्तव्य है जो चिकित्सक निर्देशों का पालन नहीं करेंगे वह स्वतः ही अवैध कहलायेंगे ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है, इससे बचने के लिए नियमपूर्वक ही प्रैक्टिस करें जिससे किसी भी कार्यवाही से उनका सामना न हो, आजकल चिकित्सकों एवं चिकित्सालयों की जांच का अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है जो जिला प्रशासन की देख रेख में हो रहा है इसमें चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त सामान्य प्रशासन की सक्रियता है, एक बार चिकित्सा विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के पश्चात जिला प्रशासन के अधिकारी सक्रिय हो जाते हैं और आनन फानन में प्रकरण स्थानीय पुलिस को सौप दिया जाता है पुलिस का दखल नहीं होना चाहिये किन्तु जिला प्रशासन के सहयोग के लिए पुलिस अतिसक्रिय हो जाती है जिससे प्रैक्टिस में असुविधा हो जाती है और सदैव चिन्हित की श्रेणी में ऐसे चिकित्सकों को रखा जाता है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक नियमानुसार भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के आदेशानुसार **EH.Dr.** लिखने के अधिकारी हैं उन्हें अपने नाम के पूर्व **EH.Dr.** लिखना चाहिये और अपने चिकित्सालय पर स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक/इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सालय का साइन बोर्ड लगाना चाहिये यदि इस प्रकार का साइन बोर्ड लगाकर प्रैक्टिस करते हैं तो चिकित्सा विभाग व सामान्य प्रशासन एवं स्थानीय पुलिस को हस्तक्षेप करने का कोई भी अवसर नहीं मिलेगा और स्वतन्त्र रूप से अधिकार पूर्वक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक अपनी प्रैक्टिस कर सकेंगे इसके अतिरिक्त यदि प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें प्रायः स्वास्थ्य विभाग के सबसे छोटे अधिकारी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो में नियुक्त होते हैं से लेकर जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी तक मेडिकल काउन्सिल एक्ट के अधीन कार्यवाही करने का प्रयास करते हैं जिससे अनावश्यक परेशानी पैदा हो जाती है यदि हम भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश अर्थात 25–11–2003 के आदेशानुसार प्रैक्टिस करते हैं तो इनमें से किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा इसलिए हमें स्पष्ट तौर पर **EH.Dr.** लिखकर ही प्रैक्टिस करना चाहिये तथा अपने चिकित्सालय में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी पैथी की औषधि नहीं रखनी चाहिये एवं न ही उन्हें किसी प्रकार से उपयोग में लाना चाहिये।

वर्तमान परिस्थितियों में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्राविधानों के अनुसार ड्रेसिंग करने में बायोमेडिकल वेस्ट के जो प्राविधान लागू होते हैं वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की प्रैक्टिस से भिन्न हैं अर्थात यदि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं तो वेस्टेज का प्रतिशत शून्य होता है और यदि ड्रेसिंग करते हैं तो उसके लिए वेस्टेज का न्यूनतम मानक निर्धारित है इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस में इन सभी बातों का बारीकी से ध्यान रखा जाना चाहिये यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो जहां एक ओर स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है वहीं दूसरी ओर प्रदूषण नियन्त्रण विभाग की भी कार्यवाही का सामना हो सकता है और वर्तमान समय में स्वच्छता अभियान सरकार की ओर से एक वृहद कार्यक्रम है सरकार ने जिसके लिए बहुत सी योजनायें चला रखी हैं और तो और सरकार इसके लिए एक न्यूनतम कर भी वसूल रही है इसलिए कार्य में पूरी पारदर्शिता बरतने का प्रयास करें और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रैक्टिस के लिए जो भी दिशा निर्देश सरकार द्वारा जारी किये गये हैं उनका पूरी तरह से पालन करने का प्रयास होना चाहिये यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए जो कार्यवाही चल रही है उसमें अपना सहयोग परोक्ष रुप से प्रदान कर सकते हैं इस प्रकार सरकार को भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता प्रदान करने में सुगमता होगी।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक जारी दिशा निर्देशों के अनुसार चिकित्सा व्यवसाय नहीं करेंगे तो उन्हें नित प्रतिदिन अनावश्यक कार्यवाहियों का सामना करना पड़ सकता है और इन्हीं झंझावातों से बचने के लिए दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करना आवश्यक है इसमें किसी प्रकार की त्रुटि आपको परेशानी में डाल सकती है और सरकार को भी अपनी कार्यवाही करने में असुविधा हो सकती है इसलिए अपने कार्य को नियम पूर्वक सुगमता से करते हुए सरकार द्वारा जारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के दिशा निर्देशों को मानते हुए अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिये ऐसा करने से आप सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए की जा रही कार्यवाही में सहभागी भी हो सकते हैं, कारण यह है कि जब आप नियम पूर्वक कार्य करेंगे तो सरकार की दृष्टि आपके प्रति सकारात्मक होगी और सरकार आपके लिए जल्दी से जल्दी कोई अनुकूल निर्णय आपके पक्ष में ले सकती है एवं बहु प्रतीक्षित इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का प्रकरण आसानी से सुलझ सकता है।

इसके विपरीत यदि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक आचरण करते हैं तो प्रकरण के निस्तारण की लम्बाई असीमित हो सकती है इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0

8–लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ–226001
प्रशा0 कार्या0 : 127/204 "एस" जूही,कानपुर–208014
Email: registrarbehmup@gmail.com

पंत्राक – /बी0ई0एच0एम0/2019–20 दिनांक .....

नोटिस U/C 30 (IV)

समस्त सम्बन्धित एवं सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 आर्टिकल्स 1975 के क्लाज 30 (IV) के अधीन निम्नलिखित चिकित्सकों को जिनके सम्मुख जनपद एवं पंजीयन संख्या अंकित है, इनको रजिस्ट्रर्ड पत्र के माध्यम से सूचना प्रेषित की गयी थी जो कार्यालय को वापस प्राप्त हो गयी है।

अतः यदि सम्बन्धित के पतों में संशोधन हुआ हो तो वह उसे शुद्ध करा लें और यदि चिकित्सा व्यवसाय बन्द कर दिया हो तो सूचित करें जिससे रजिस्ट्रेशन रजिस्टर में अद्यतन स्थिति अंकित की जा सके –

क्रम सं0	नाम	जिले का नाम	रजिस्ट्रेशन नम्बर
01	दिनेश कुमार	हमीरपुर	4316
02	श्रीमती साधना यादव	शाहजहांपुर	5114
03	रमेश कुमार द्विवेदी	रायबरेली	5784
04	जियालाल	थाड़े(महाराष्ट)	6939
05	मनोज कुमार	गाजियाबाद	6953
06	मो0 नईम	प्रतापगढ़	7071
07	भृगुनाथ	अहमदाबाद	7201
08	अनिल कुमार	नई दिल्ली	7211
09	सुभाष चन्द्र	उन्नाव	7212
10	राजभर आरती धर्मराज	आजमगढ़	7234
11	रमेश दत्त पाण्डेय	लखीमपुर	7256
12	तशलीम मियाँ	इटावा	7259
13	कु0सल्तनत जहाँ	कन्नौज	7260
14	रियाज अहमद खान	आजमगढ़	7278
15	शंकर विश्वास	फिरोजाबाद	7295
16	गज़नफर अली खान	अलीगढ़	7311
17	नागेश्वर प्रसाद द्विवेदी	फिरोजाबाद	7314
18	मो0 हसीब	फैजाबाद	7318
19	चन्द्र शेखर यादव	आजमगढ़	7328
20	नजमा शहीन	मऊ	7335
21	अलोक कुमार मिश्रा	रायबरेली	7355
22	सालिग राम त्रिपाठी	वाराणसी	7360
23	श्रीमती सागीरा	लखनऊ	7369
24	रन बहादुर	आजमगढ़	7371
25	दिनेश चन्द्र यादव	प्रयागराज	7374
26	ओम प्रकाश	बाराबंकी	7375
27	कु0 संजय देवी	लखनऊ	7384
28	श्रीमती चन्द्रकला	बलिया	7387
29	कु0 रीमा रानी	बुलन्दशहर	7393

ह0
रजिस्ट्रार

इलेक्ट्रो होम्योपैथी में नियमित शिक्षा को दें बढ़ावा

भारत में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की नियमित शिक्षा प्रारम्भ से ही दी जाती रही है शिक्षा देने के स्थान अर्थात विद्यालय का स्वरूप जो भी रहा हो छात्रों की संख्या एवं संसाधन इत्यादि सभी आज की व्यवस्था के अनुरूप न रहे हों किन्तु शिक्षा एवं प्रशिक्षण की कोई कमी नहीं रही है समय बदला विद्यालयीय व्यवस्था आरम्भ हुई संसाधनों एवं छात्रों की सुविधाओं का भरपूर ख्याल रखा जाने लगा, बड़े बड़े आयोजन होने लगे सैकड़ों की संख्या में छात्र प्रवेश लेने लगे विशेष कक्षायें एवं सेमिनारों का आयोजन होने लगा यह सबकुछ छटवें दशक से आरम्भ होकर आठवें दशक तक चरम पर पहुँच गया शिक्षा में गुणवत्ता की झलक भी दिखायी देने लगी यह सबकुछ व्यवस्थित ढंग से किया जा रहा था सरकार की ओर से भी पूरा प्रोत्साहन मिल रहा था अचानक आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी की संस्थाओं का सरकार द्वारा प्रान्तीयकरण कर लिया गया इसके साथ ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी की संस्थाओं के विरुद्ध गैर सरकारी संस्थायें होने की कार्यवाही शुरू हो गयी लड़ाई आरम्भिक दौर में थी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की संस्थाओं ने दमखम के साथ लड़ाई लड़ी और शीघ्र ही सरकारी कार्यवाही पर सफलता प्राप्त की।

अब स्थिति यह थी कि प्रदेश में दो प्रकार की संस्थायें थी एक सरकारी और दूसरी गैर सरकारी, इनमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी थी गैर सरकारी इन गैर सरकारी संस्थाओं का चलता रहना सरकार को अब सहज नहीं लग रहा था इसलिए सरकार ने अनेक प्रकार के अड़ंगे लगाना शुरू किये यह क्रम निरन्तर चलता रहा कुछ संस्थाओं के अथक प्रयास से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दिशा निरन्तर सुगम बनी रही, इसी समय एक ऐसा दौर शुरू हुआ कि जब प्रदेश में अनेकों इलेक्ट्रो होम्योपैथी की सस्थाओं ने जन्म लेना प्रारम्भ कर दिया जिनमें कुछ ऐसी संस्थाये भी थीं जिनकी गतिविधियों से नियमित शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होने लगा जिससे सरकार को इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बाधा उत्पन्न करने के लिए बल मिला और जो वास्तविक नियमित शिक्षा प्रदान करना चाहते थे उन्हें भी इससे हानि उठानी पड़ी यह सिलसिला नौवें दशक में चरम पर पहुँच गया जबकि सरकार द्वारा इसमें कोई ऐसी बाधा नहीं उत्पन्न की जा रही थी जिससे नियमित शिक्षण कार्य में किसी प्रकार की रूकावट पैदा हो किन्तु यह सबकुछ उन नवगठित संस्थाओं द्वारा हो रहा था जिन्हें नियमित शिक्षा देने में कोई रूचि नहीं थी और उनका यह सोचना भी इस कारण था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कोई मान्यता नहीं है इसलिए नियमित व अनियमित में कोई भेद नहीं किया जा सकता परन्तु वह यह बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि नियमित व अनियमित में कोई भेद नहीं है किन्तु उनकी शिक्षा व ज्ञान की गुणवत्ता में नियमित व अनियमित का प्रभाव स्पष्ट रुप झलक रहा था।

यह क्रम इसी प्रकार गत शताब्दी के 10 वें दशक अर्थात सन् 2000 तक जारी रहा और इलेक्ट्रो होम्योपैथी संस्थाओं ने जमकर मनमानी की, जिस कारण उन्हें कुछ और सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी जिसका परिणाम यह हुआ कि सरकार द्वारा 25 नवम्बर, 2003 को एक आदेश जारी किया गया जिसके द्वारा यह प्रचार किया गया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता समाप्त कर दी गयी है इस समाचार को राष्ट्रीय समाचार पत्रों सहित दूरदर्शन एवं आकाशवाणी ने भी प्रसारित किया यह क्रम कई दिनों तक जारी रहा इस समाचार से पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी जगत में एक भूचाल सा आ गया लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा ! किसी ने यह नहीं सोचा कि जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता थी ही नहीं तो समाप्त कैसे हो सकती है ?परन्तु इस समय भी नियमित शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थायें अपने कार्य में पूर्व की भांति व्यस्त थी, भारत सरकार के इस आदेश को लोगों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित भी कर लिया और उसी के अनुरूप आचरण किया अधिकांश लोगों का मानना था कि इस आदेश से इलेक्ट्रो होम्योपैथी को प्रतिबन्धित कर दिया गया है तथा इसकी शिक्षा एवं चिकित्सा पर भी रोक लगा दी गयी है जबकि वास्तविकता यह है कि इस आदेश में न तो शिक्षा पर और न ही चिकित्सा पर रोक लगायी गयी है इस आदेश को स्पष्ट तौर पर देखा गया कि सरकार ने विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी जिसकी संस्तुति के आधार पर गैर मान्यता प्राप्त वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को पूर्णकालिक बैचलर व मास्टर डिग्री जारी करने पर रोक लगायी है तथा डाक्टर शब्द का प्रयोग पहले से मान्यता प्राप्त वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक ही कर सकते हैं।

भारत सरकार के इस आदेश के आने के बाद नियमित शिक्षा देने वाले संस्थान निरन्तर शिक्षा देते रहे जबकि इसके विपरीत अन्य संस्थान जो नियमित शिक्षा में रूचि नहीं रखते थे तथा उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता था वह भी विलुप्त सा हो गया किन्तु एन केन वह अपने कार्य में लगे रहे तथा यथा सम्भव यह प्रयास करते रहे कि उन्हें कार्य का अवसर किसी प्रकार व्यवस्थित रूप से प्राप्त हो सके ! किन्तु ऐसा नहीं हो सका जबकि नियमित शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था राज्य सरकार द्वारा आदेश प्राप्त करने में सफल रही इस संस्था की सफलता को देखकर उन संस्थाओं ने भी अपने प्रयास तेज कर दिये, जो लगभग विलुप्त सी हो गयी थीं वह भी ऐसा आदेश प्राप्त कर सके इसके लिए उन्होंने हर सम्भव प्रयास करना प्रारम्भ किया किन्तु इस बार भी वह असफल ही रहे, इस असफलता के पश्चात उन्होंने सफल संस्था को आधार बनाते हुए नये नये प्रयास किये उन्हें आंशिक सफलता भी मिली किन्तु सशर्त होने के कारण स्वतः ही वह समाप्त हो गये, अन्ततः प्रदेश की एक मात्र संस्था बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 को यह गौरव प्राप्त हुआ जो सरकार से आदेश प्राप्त है जिसे अधिकार प्राप्त संस्था कहा जा सकता है ।

समय के साथ ऐसी संस्थाओं ने भी कुछ करने का मन बनाया उन्होंने भी अपना कार्य नियमित संस्था की तरह तो नहीं परन्तु लगभग कुछ वैसा ही करने का प्रयास आरम्भ कर दिया, ऐसी संस्थाओं को चाहिये कि वह खुले मन से स्पष्ट तौर पर नियमित शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करें, भारत सरकार द्वारा गठित अन्तर विभागीय समिति ने भी पाठ्यक्रम, शिक्षण/प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के बारे में जानकारी चाही है, समिति के इस बिन्दु से यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण से तात्पर्य नियमित शिक्षा देने वाली संस्थाओं से है इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी संस्थाओं को अब चाहिये कि वह नियमित शिक्षा को बढ़ावा देकर भारत सरकार की अन्तर विभागीय समिति के निर्देशानुसार इस बिन्दु की पूर्ति करने का प्रयास करें।

f behm.up@rediffmail.com

Board of Electro Homoeopathic Medicine, U.P.

Recognised by Government of U.P.

Approved by Directorate General of Medical & Health Services, U.P.

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0

F.M.E.H. व A.C.E.H. पाठयक्रमों

के संचालन हेतु निम्न जनपदों में

स्टडी सेन्टर्स के स्थापनार्थ इच्छुक

व्यक्तियों/संस्थाओं से आवेदन

आमंत्रित करता है

इलाहाबाद, कौशाम्बी, बाँदा, चित्रकूट, झाँसी, ललितपुर, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, एटा, कासगंज, हाथरस, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फर नगर, शामली, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, सम्भल, बरेली, बदायूँ, पीलीभीत, हरदोई,सीतापुर, फैज़ाबाद, सुलतानपुर, श्रावस्ती, बस्ती, गोरखपुर, खलीलाबाद, बलिया, गाज़ीपुर,वाराणासी,चन्दौली,मदोई, औरैया,फर्रुखाबाद एवं कन्नौज

आवेदन पत्र एवं निर्देश बोर्ड की वेबसाइट www.behm.org.in (link Affiliation) से डाउनलोड कर सकते हैं।

Offered Courses

Name of the Course	Abbreviation	Eligibility	Duration
Member of Board of Electro Homoeopathic	M.B.E.H.	10+2 (Bio Group) or Equivalent	Three Years
Fellow of Medicine in Electro Homoeopathy	F.M.E.H.	10+2 (Any Stream) or Equivalent	Two Years (4 Semester)
Advance Certificate in Electro Homoeopathy	A.C.E.H.	Registered Practitioner Any Branch or Equivalent	1 Semester
Graduate in Electro Homoeopathic System	G.E.H.S.	10+2 (Bio Group) or Equivalent	4 Years Plus (1 Year Internship)
Post Graduate in Electro Homoeopathy	P.G.E.H.	Graduate in any Medical Stream or Equivalent	2 Years